मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

एफ क्रमांक सी-6-2/90/3/49 भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 1990

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय.– शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागीय जांच की कार्यवाही पेंशन नियमों के तहत् की जाना।

शासन के समक्ष कुछ ऐसे प्रकरण आए हैं जिनमें विभागीय जांच के चालू रहते शासकीय सेवक के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् भी विभागीय जांच की कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् जारी रखी गई और इसी के परिणाम-स्वरूप ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के आदेश भी प्रसारित किए गए जिसका कोई प्रभाव सेवानिवृत्ति के बाद नहीं रहता। उपर्युक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के पूर्व चल रही विभागीय जांच निरंतर रहेगी एवं इस प्रकार की जांच की कार्यवाही म. प्र. सिविल सेवा पेंशन नियमों के अन्तर्गत जारी समझी जायेगी, जैसा कि इन नियमों में प्रावधान है। यदि सेवानिवृत्ति के बाद जांच प्रारम्भ की जाना हो तो वह पेंशन नियमों के अन्तर्गत ही की जा सकेगी।

हस्ता./-
(कि. एन. श्रीवास्तव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.